



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 718 राँची, सोमवार

20 अग्रहायण, 1945 (श०)

11 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-13/वरीय नि० सं०-01/2014 का०- 5322--विभागीय अधिसूचना-सह-ज्ञापांक-16

दिनांक-03.01.2023 द्वारा श्री संदीप श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, चतरा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(b) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वेतनवृद्धि (न्यूनतम 250/- रुपये, अधिकतम 500/- रुपये) की स्वीकृति दी गयी है ।

2. श्री संदीप श्रीवास्तव को पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं-1023 दिनांक 04.09.2012 द्वारा झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली के उक्त नियम 7 (b) के तहत दो वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जा चुका है। उक्त नियमावली के अंतर्गत दो बार वेतन वृद्धि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः सम्यक विचारोंपरांत श्री श्रीवास्तव को 02 वेतनवृद्धि न्यूनतम 250/- रुपये, अधिकतम 500/- रुपये) की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या 16-दिनांक 03.01.2023 को रद्द किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मो० जियाऊल अंसारी,
सरकार के अवर सचिव ।
